न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या–53/88/2019

1. रजनीश
2. जयपाल

} पिसरान लालचन्द जाति जाट साकिनान दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र बलराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. ब्रहमादेवी पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सुनीता पुत्री लालचन्द पत्नी सरजीत जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी
4. प्रमिला पुत्री लालचन्द पत्नी विजयकुमार जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर
5. प्रियंका पुत्री लालचन्द पत्नी संतलाल जाति जाट साकिन पोहड़का तहसील ऐलनाबाद
6. तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1– श्री ओमप्रकाश शर्मा – वकील वादीगण
2–श्री नवरत्न स्वामी– वकील प्रति.सं.1 से 5

निर्णय दिनांक :– 22.07.19

वादी गुरजण्टसिंह ने यह वादपत्र अन्तर्गत इस्तककरार हक एवं खाता तकसीम के तहत पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के व्यक्ति है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है, वादीगण ने दावा में अपनी वंशावली दर्ज की है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में कुल 4.302 हि. व चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98 में कुल 3.542 हि. तथा चक नं. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता संख्या 81/77 में कुल 6.086 हि. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। भूमि का विवरण इस प्रकार से है, कि चक न. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में प.न.178/134 मु.नं.33कि.न. 21–22/0.506,प.न.180/135 मु.नं. 36कि. न.1 ता 3, 8 ता 10, 12 ता 19, 25/3.720 गै0मु0 रास्ता/0.076 कुल –4.302 है0 व चक न. 4 ए.एम.पी. खाता सं. 123/98 प.न.178/141 मु.नं. 25 कि.न. 8 ता 13/1.518 प.न.182/143 मु.नं. 47 कि.न. 14 ता 18, 24–25/1.657 प.न.182/14 मु.नं. 48 कि.न. 5/0.215 गै0मु0 रास्ता/0.152 कुल –3.542 है0 व चक न. 1 ए. एम.पी.(बी) खाता संख्या 81/77 में प.न.177/134मु.नं.20कि.न.1–2, 9 ता 12, 19 ता 25/3.201,प.न.176/134 मु.नं. 21कि.न.6/1/0.127, 7/1/0.126, 14 ता 17, 23 ता 25/1.949 प.न.176/135 मु.नं. 33कि.न. 3 ता 5/0.658, गै0मु0 रास्ता/0.114, गै0मु0 खाला/0.164 कुल 6.086 है0। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या एक के नाम उक्त पहरा संख्या 3 मे वर्णित कुल भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की विरास्तन जद्दी जायदाद है, जिसमें वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादीगण घोषित कराना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन में वादी संख्या एक–रजनीश के हिस्सा में चक नं. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में कुल 4.302 हि. में से 3.796 हि0 तथा वादी संख्या दो–जयपाल के हिस्सा में चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98 में कुल 3.542 हि. में से 1.012 हि0 तथा चक नं. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता संख्या 81/77 में कुल 6.086 हि. में से 2.783 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है। वादीगण को मिली भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी है। उक्त भूमि वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने–अपने नाम कराने के मुश्तहक एवं दावेदार हैं इसी अमर की घोषणात्मक डिगरी पाने के वादीगण अधिकारी एवं दावेदार है। कि वादीगण एवं प्रतिवादी का घरू विभाजन अच्छी मन्दी भूमि के आधार पर हो चुका है, वादीगण अब अपना खाता सांझा नहीं रखना चाहता क्यों कि सांझे खाते में हमेशा सींव बट व रकम राज का विवाद रहता है वादीगण अपने कब्जा काश्त व घरू विभाजन में मिली भूमि का खाता विभाजन कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है कि (क)–वादी सं0 एक–रजनीश पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्जा काश्तः–चक न. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में प.न.180/135 मु.नं.36 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10, 12 ता 19, 25/3.720 गै0मु0 रास्ता/0.076 कुल

–3.796 है0 नहरी मय गै0मु0 तथा (ख)–वादी सं0 दो–जयपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्जा काश्तः–चक न. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98 में प.न.178/141मु.न.25 कि.न.9 ता 12/1.012 कुल–1.012 है0 व चक न. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता संख्या 81/77 में प.न. 176/134 मु.न. 21कि.न. 6/1/0.127, 7/1/0.126, 14/0.253, 15–16/0.456, गै0मु0/0.050, 17–23–24/0.759, 25/0.228, गै0मु0/0.025, प.न. 176/135 मु.न.33 कि.न. 3–4/0.456, गै0मु0/0.050, 5/0.202,गै0मु0/0.051, कुल–2.783 है0 इस प्रकार दौनों चकों की कुल–3.795 है0 नहरी मय गै.मु.भूमि। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण बैंक लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है, इससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण शादी–शुद्वा है व अपना अलग परिवार रखते है जिनकी आय का श्रोत उक्त भूमि ही है तथा विवादित भूमि पर अपने हिस्सा व घरू विभाजन में मिली भूमि पर वादीगण की ही कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। कि वादीगण ने प्रतिवादी से कहा कि वह वादीगण को दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित कुल भूमि का जन्मजात व मुताबिक घरू विभाजन अनुसार वादीगण को दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गय बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन के आदेश जारी किये गये। मुकर्र तारीख पैशी पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने जरिए वकील एवं स्वंय हाजिर आकर उक्त दावे में अपना इकबालदावा पेश किया जिसमें दावे को स्वीकार किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 6 तहसीलदार संगरिया ने अपना जबाबदावा पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण का इकबालदावा आने से दावे में कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1–रजनीश ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया तथा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदृर्शित करवाई गई। बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावे के तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण का दावा डिकरी किये जाने का अनुरोध किया जिसका वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने कोई विरोध नहीं किया। बहस वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की सुनने के बाद एवं पत्रावली का अवलोकन करने से भूमि विरास्तन होना व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई विरोध नहीं होने से वाद वादीगण के पक्ष में साबित पाया जाता है, अतः वादीगण का वाद डिकरी किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीगण डिकरी किया जाता कि वादी संख्या एक–रजनीश चक नं. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में कुल 3.796 हि0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या दो–जयपाल चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98 में 1.012 हि0 व चक नं. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता सं. 81/77में कुल 2.783 है0 इस प्रकार दौनों चकों में कुल 3.795 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरौक्तानुसार राजस्व अभिलेख में भूमि वादीगण के नाम इन्द्राज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1–लालचन्द वल्द बलराम का हिस्सा कम किया जावे, तथा वादीगण का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है कि वादी सं0 एक–रजनीश पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्जा काश्तः–चक न. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में प.न.180/135 मु.नं.36कि.न. 1 ता 3, 8 ता 10, 12 ता 19, 25/3.720 गै0मु0 रास्ता/0.076 कुल –3.796 है0 नहरी मय गै0मु0 तथा (ख)–वादी सं0 दो–जयपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ की कब्जा काश्तः–चक न. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98 में प.न.178/141मु.न.25 कि.न.9 ता 12/1.012 कुल–1.012 है0 व चक न. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता संख्या 81/77 में प.न. 176/134 मु.न. 21कि.न. 6/1/0.127, 7/1/0.126, 14/0.253, 15–16/0.456, गै0मु0/0.050, 17–23–24/0.759, 25/0.228, गै0मु0/0.025, प.न. 176/135 मु.न.33 कि.न. 3–4/0.456, गै0मु0/0.050, 5/0.202,गै0मु0/0.051, कुल–2.783 है0 इस प्रकार दौनों चकों की कुल–3.795 है0 उपरौक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर रकम राज अलग–अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः–यदि बैंक का कोई ऋण बकाया हो तो बकाया न होने का प्रमाण पत्र पैश होने पर नामान्तरण कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–188/2019

1. रजनीश } पिसरान लालचन्द जाति जाट साकिनान दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला
2. जयपाल } हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–वादीगण

बनाम

1 लालचन्द पुत्र बलराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2 ब्रहमादेवी पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 सुनीता पुत्री लालचन्द पत्नी सरजीत जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी
4 प्रमिला पुत्री लालचन्द पत्नी विजयकुमार जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर
5 प्रियंका पुत्री लालचन्द पत्नी संतलाल जाति जाट साकिन पोहड़का तहसील ऐलनाबाद
6 तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी संख्या एक–रजनीश चक नं. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69 में कुल 3.796 हि0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या दो–जयपाल चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98 में 1.012 हि0 व चक नं. 1 ए. एम.पी.(बी) खाता सं. 81/77 में कुल 2.783 है0 इस प्रकार दौनों चकों में कुल 3.795 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उपरौक्तानुसार राजस्व अभिलेख में भूमि वादीगण के नाम इन्द्राज की जाकर प्रतिवादी संख्या 1–लालचन्द वल्द बलराम का हिस्सा कम किया जावे, तथा वादीगण का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है कि वादी सं0 एक–रजनीश पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ की भूमि–

चक न. 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 75/69

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
180/135	36	1 ता 3, 8 ता 10, 12 ता 19, 25/3.720
	47/23 गै0मु0	रास्ता/0.076
		कुल–3.796 है0

(ख)–वादी सं0 दो–जयपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन दीनगढ़ की भूमि–

चक न. 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 123/98

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
178/141	25	9 ता 12/1.012
		कुल–1.012 है0

चक न. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता संख्या 81/77

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
176/134	21	6/1/0.127, 7/1/0.126, 14/253,15–16/0.456
		गै0मु0/0.050,17–23–24/0.759,25/0.228,गै0मु0/0.025
176/135	33	3–4/0.456, गै0मु0/0.050, 5/0.202,गै0मु0/0.051,
		कुल–2.783 है0

दौनों चकों की कुल–3.795 है0 राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर रकम राज अलग–अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया